भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1459
31/07/2026 को उत्तरार्थ

विषयः खराब मौसम के कारण फसल का नुकसान
1459 श्रीमती सागरिका घोषः
क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खराब मौसम के कारण फसल को कितना नुकसान हुआ;
(ख) फसल बीमा के तहत भुगतान किया गया मुआवज़ा कितना है; और
(ग) क्या जिला-वार जलवायू-अनुकूल कृषि योजनाएँ तैयार की गई हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): फसल क्षति संबंधी जानकारी केंद्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है। तथापि, राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के आधार पर, गृह मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान जल-मौसम संबंधी आपदाओं के कारण 125.87 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ था।

(ख): सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) का कार्यान्वयन कर रही है। आरडब्ल्यूबीसीआईएस के साथ, पीएमएफबीवाई प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल मौसम की घटनाओं से होने वाले फसल के नुकसान के लिए व्यापक बीमा कवरेज प्रदान करती है, जिससे किसानों को जलवायु संबंधी जोखिमों से राहत मिलती है। वर्ष 2016 में योजनाओं की शुरुआत से लेकर 30 जून, 2026 तक 25.58 करोड़ किसान आवेदनों के लिए 2.02 लाख करोड़ रुपए की दावा राशि का भुगतान किया जा चुका है।

(ग): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के माध्यम से सरकार जलवायु अनुकूल कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार (एनआईसीआरए) नामक परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है, जो कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करती है और जिला स्तर पर कृषि के जोखिम और संवेदनशीलता का आकलन करती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इन 651 जिलों के लिए मौसम संबंधी अनियमितताओं से निपटने और स्थान-विशिष्ट जलवायु-अनुकूल फसलों, किस्मों और प्रबंधन पद्धतियों की अनुशंसा करने हेतु जिला कृषि आकस्मिक योजनाएं (डीएसीपी) तैयार की गई हैं।

इसके अतिरिक्त, अल नीनो की स्थिति और दक्षिण-पश्चिम मानसून पर इसके संभावित प्रभाव को देखते हुए, महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (एमएनसीएफसी) ने 262 संवेदनशील जिलों की पहचान की है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-बारानी कृषि केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर-सीआरआईडीए) ने राज्यों के परामर्श से इन संवेदनशील जिलों के लिए जिला स्तरीय आपातकालीन योजनाएं तैयार की हैं।
